

RPSC EO/RO Exam 2025

शहरी क्षेत्रों की योजनाएं

नवीनतम
अपडेटेड

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना

सम्पूर्ण जानकारी

10 महत्वपूर्ण प्रश्न



Part-7

GK Search Engine

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना :-

योजना की घोषणा - बजट 2021-22 में।

योजना आरंभ - 6 अगस्त, 2021

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा

वार्षिक आधार पर समय सीमा बढ़ाई गई।

- पहली बार 31 मार्च, 2022 तक।
- दूसरी बार - 31 मार्च, 2023 तक।
- तीसरी बार (17 मार्च, 2023 की घोषणा के अनुसार) 31 मार्च, 2024 तक।

नोट- तीसरे चरण के लिए अधिकतम आयु सीमा को 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई।

 योजना के तहत शहरी क्षेत्र में अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र (स्ट्रीट वेंडर्स आदि) में काम करने वाले 5 लाख लोगों को 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर 50 हज़ार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

योजना का क्रियान्वयन - स्वायत्त शासन विभाग द्वारा। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्वा

वित्त पोषण:- 100% राज्य वित्त पोषित।

योजना का प्रकार - व्यक्तिगत

इस योजना में 31 मार्च, 2024 तक 6.56 लाख लाभार्थियों के आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं।

योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड -

- राजस्थान का स्थायी निवासी हो।
- आवेदक - राज्य के शहरी क्षेत्र में निवास कर रहा हो।
- आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो। (नोट:- प्रारंभ में यह 18 से 40 वर्ष थी।)
- आवेदक की व्यक्तिगत मासिक आय 15 हजार से कम हो।
- आवेदक के परिवार की मासिक आय 50 हजार से कम हो।
- जिला रोजगार केन्द्र में पंजीकृत शहरी बेरोजगार युवा जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा हो।

- ▶ छोटे व्यापारी जिन्हें शहरी निकाय द्वारा पहचान पत्र दिया है, वह भी योजना का पात्र है।
- ▶ लाभान्वित - SC, ST, पिछड़ा वर्ग एवं समान्य श्रेणी सहित सभी वर्गों के पात्र व्यक्ति होंगे।

नोट -

(i) बेरोजगार युवाओं हेतु आयु सीमा 18 से 40 वर्ष ही है।

(ii) स्ट्रीट वेंडर श्रेणी के आवेदकों हेतु ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

ऋण प्राप्ति एवं पुनर्भुगतान समय सीमा :-

- ऋण की अवधि एक वर्ष होगी।
- ऋण सामान्यतया आवेदन के 25 दिन के भीतर बैंक द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।
- ऋण निकासी - क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड (हरा रंग) से।
- ऋण के मॉनिटोरियम की अवधि 3 महीने रहेगी।
- ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होगी।
- ऋण का पुनर्भुगतान :- 25 हजार तक का ऋण चौथे से

15 वें माह तक 12 सामान मासिक किस्तों में।

- 25 हजार से 50 हजार तक का ऋण - 18 मासिक किस्तों में भरा जा सकेगा।

ऋणदाता संस्थान :-

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (सार्वजिक एवं निजी)
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (iii) स्मॉल फाइनेंस बैंक
- सहकारी बैंक (v) गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां ।

नोट -

- इन बैंकों हेतु ब्याज दर 10% वार्षिक निर्धारित है।
- राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
- 'राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति' की अनुशंसा के आधार पर लाभार्थियों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा।
- इस योजना के तहत सभी ऋण 'क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज (CGTMSE)' के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे।

योजना क्रियान्वयन अधिकारी एवं समीक्षा-

- ★ लाभार्थी की पहचान संबंधित निकाय द्वारा।
- ★ लाभार्थी का सत्यापन उपखंड अधिकारी द्वारा 7 दिवस में किया जाएगा।

जिला कलेक्टर -

- जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन एवं मोनिटरिंग हेतु नोडल अधिकारी।
- योजना की प्रगति की समीक्षा हेतु 'जिला स्तरीय बैंकिंग कमेटी' द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रति माह बैठक आयोजित की जाएगी।

योजना के उद्देश्य -

- ✓ यह योजना व्यापारिक गतिविधियों हेतु लाभार्थी की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए बिना किसी गारण्टी के, ब्याज रहित माइक्रो-क्रेडिट सुविधा प्रदान करती है।
- ✓ -रुपए 50000/- (पचास हजार) तक का ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना।
- ✓ -अनौपचारिक क्षेत्र में छोटे व्यापार को विकसित करने के लिए बढ़ावा देना।
- ✓ -स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करना। व -रोजमर्ग की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना।
- ✓ अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में कोविड-19 के दुष्प्रभाव को कम करना।
- ✓ यह योजना राजस्थान राज्य के अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले 5 लाख लाभार्थियों को 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर मदद कर अर्थव्यवस्था के विकास एवं बढ़ावा देने के मार्ग को प्रशस्त करती है।
- ✓ ऋण उपलब्ध करवाने के लिए किसी भी तरह का प्रक्रिया शुल्क नहीं होगा।
- ✓ पुनर्भुगतान - 12 समान मासिक किश्तों में (3 माह मॉरिटोरियम अवधि के बाद)

ऋण जारी किए जाने की समय सीमा

इस योजना के अन्तर्गत ऋण सामान्यतया आवेदन के 25 दिन के भीतर ऋणदाता संस्थान द्वारा स्वीकृत कर दिया जायेगा।

राजस्थान आर्थिक समीक्षा (2023-24)

- ❖ इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्र के 5 लाख स्ट्रीट वेण्डर्स को रु. 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
- ❖ 31 मार्च, 2024 तक 6,56,000 लाभार्थियों के आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं और 2,49,000 लाभार्थियों को रु. 710 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं।

बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार:-

- ★ शहरी क्षेत्रों में Street Vendors को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई "प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना" की तर्ज पर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में Street Vendors के साथ ही अन्य जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना लागू की जायेगी।

मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना 2024

प्रारम्भ 16 दिसम्बर 2024

- योजनान्तर्गत 80,000 रु. तक ब्याज मुक्त, गारन्टी मुक्त, बिना प्रकिया शुल्क के माइको केडिट प्रदान किया जाता है।
- असंगठित श्रमिकों के साथ भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिकों को शामिल किया गया।

महत्वपूर्ण 10 प्रश्न

01. इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कब आरंभ की गई?

(a) 6 जुलाई, 2021

(b) 6 अगस्त, 2021

(c) 6 अगस्त, 2022

(d) 6 जुलाई, 2022

02. इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का वित्त पोषण किया गया है-

(a) 100% केंद्र सरकार द्वारा

(b) 60% केंद्र सरकार एवं 40% राज्य सरकार द्वारा

(c) 100% राज्य सरकार द्वारा

(d) 50% केंद्र सरकार एवं 50% राज्य सरकार द्वारा

03. इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कितना ऋण प्रदान किया गया?

(a) एकल व्यक्ति उद्यमी को रु.20 हजार तक एवं सामूहिक उद्यमों को रु.50 हजार तक

(b) केवल सामूहिक उद्यमों को रु.50 हजार तक

(c) केवल एकल व्यक्ति उद्यमी को रु.50 हजार तक

(d) एकल व्यक्ति उद्यमी को रु. 50 हजार तक एवं सामूहिक उद्यमों को रु. 1 लाख तक

04. इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पात्र आयु वर्ग है-

(a) 18-40 वर्ष

(b) 18-45 वर्ष

(c) 18-50 वर्ष

(d) 18-60 वर्ष

05. इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना क्रियान्वयन किस विभाग द्वारा किया गया ?

(a) स्वायत्त शासन विभाग

(b) वित्त विभाग

(c) सहकारिता विभाग

(d) श्रम विभाग

06. जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु किसे नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया?

(a) जिला कलक्टर को

(b) संभागीय आयुक्त को

(c) संयुक्त सचिव रैंक का अधिकारी को

(d) क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि को

07. इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के संचालन हेतु परिपत्र किस विभाग द्वारा जारी किया गया?

- (a) स्थानीय निकाय विभाग द्वारा
- (b) मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा
- (c) वित्त विभाग द्वारा
- (d) उद्यम एवं कौशल विकास विभाग द्वारा

08. इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में आवेदन करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

- a. आवेदक अनिवार्यतः राजस्थान के शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए
- b. आवेदक, जनाधार कार्डधारी होना चाहिए
- c. आवेदक के पास राजस्थान में स्थायी और साथ ही वर्तमान निवास से संबंधित दस्तावेज होने चाहिए

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं-

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3 (d) सभी कथन सही हैं

09. इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना' में ऋण पुनर्भुगतान की अवधि होगी।

- (a) 12 माह
- (b) 15 माह
- (c) 10 माह
- (d) कोई नहीं

10. इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना' के उद्देश्यों में शामिल है?

- (a) 50 हज़ार तक के ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना।
- (b) अनौपचारिक क्षेत्र में छोटे व्यापार को विकसित करने के लिए बढ़ावा देना।
- (c) स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करना।
- (d) सभी सही है।